



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल प्रध्यपदेश, गवालियर

प्रकरण क्रमांक

१४ निगरानी R. ३०३४-I/14

१- राजकुमार

२- सन्तकुमार

३- नीतराज

१२५० के काबूली,  
दाश आज दि १०.७.५५ को  
प्रस्तुत

कलक अफ कट्टौ  
राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर

पुक्राण नक्ल सिंह रावत,  
निवासीगण पूराना जीरा  
तेहसील जीरा, जिला मुरैना  
— प्राथीगण

बिराघ्य

- |                  |  |
|------------------|--|
| १- लक्ष्मीनारायण | पुक्राण लौकिन रावत,                      |
| २- रामलखन        | निवासीगण झंवा जीरा,                      |
| ३- भानुप्रताप    | तेहसील जीरा, जिला मुरैना<br>— पुत्राथीगण |

३०३४  
१०.७.५५

निगरानी बिराघ्य आदेश दिनांक १४-०८-१४ पारित तेहसीलकार  
पहोच, जीरा, जिला मुरैना प्र०क० ३३। अ-६। ०८-१०। निगरानी क्षतर्गत  
धारा ५० प्रध्यपदेश एवं भूराजस्व संहिता, १६५६।

श्रीमान् जी,

निगरानी का मार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की बाजा कानून सही नहीं है।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप स्व. कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है।

३- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में विधिवत कार्रवाही नहीं की जा रही है।

४- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय में प्राथीगण की बीर ऐ सी०पी०सी के आदेश १३ नियम १० के बाधीन् आविदन पत्र प्रमें बी कारण बताये गये थे उन पर क्वार किये जिना ही, स्वीकार किये जाने से इंकार किये जाने में फूल कीगई है।

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

## अनुबृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3034-गो/14

जिला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/10/2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी एवं अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20-12-18 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p>	 प्रशासकीय सदस्य